न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस)

प्रकरण संख्या 26/2025

बउनवान

अमृतलाल आयु 47 वर्ष पुत्र श्री राधाकिशन जाति मीणा निवासी पटपडा तहसील मॉगरोल जिला बारां राज०
अपीलांट

बनाम

बीरबल आयु 30 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पटपडा तह० मॉगरोल जिला बारां राज०
रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10–12–2024 न्यायालय तहसीलदार मांगरोल बउनवान प्रकरण अमुतलाल बनाम बीरबल प्रकरण सं० 4/2024, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट,

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक
2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
3. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 23.02.2026

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 70 ग्राम पटपडा तहसील मॉगरोल जिला बारां मे खातेदार अमृतलाल (अपीलांट) हिस्सा 2/3, प्रेमबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/3, के खाते में कुल किता 7 रकबा 4.38 हेक्टेयर दर्ज हो रहे है। दर्ज खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 249 रकबा 0.12 हेक्टेयर आराजी ही विवादित है। इस आराजी के कुछ हिस्से पर अप्रार्थी रेस्पो० बीरबल ने कच्ची टापरी ईटो का ढेर व रेतो का ढेर डालकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। इस अवैद्य अतिक्रमण को हटाने के लिए अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में 183 बी राज०टी०एक्ट की कार्यवाही पेश की थी। उक्त कार्यवाही में दिनांक 10/12/2024 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करके आदेश दिया गया कि अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पटपडा की आराजी खाता संख्या 70 किता 7 रकबा 4.38 हेक्टेयर मे हिस्सा 2/3 भूमि खसरा नंबर 249 रकबा 0.12 हैक्टेयर पर से अप्रार्थी बीरबल पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी पटपडा को राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अंतर्गत बेदखल किया जाकर प्रार्थी का कब्जा संभलाने के आदेश पटवारी हल्का तिसाया व भू अभिलेख निरीक्षक सीसवाली को दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना कराने हेतु कई प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दिनांक 10/06/2025 को एक राजस्व टीम गठित की गई । उक्त टीम में हल्का पटवारी श्री अनिल, श्री भरत एव भू अभिलेख निरीक्षक सीसवाली व स्वयं तहसीलदार साहब मौके पर पहुंचे। हल्का पटवारी ने अपीलांट से पूर्व मे कह दिया था कि मौके पर जेसीबी मशीन व मजदूर आदि तैयार रखना। अपीलांट ने राजस्व टीम मॉगरोल के आदेश की पालना मे मौके पर जेसीबी मशीन आदि तैयार कर रखी थी और मजदूर भी तैयार कर रखे थे। राजस्व टीम के साथ पुलिस थाना सीसवाली के दो कान्स्टेबल भी मौजूद थे। दिनांक 10/06/2025 को राजस्व टीम मौके पर पहुंची और रेस्पो० का अवैद्य अतिक्रमण हटाये बिना ही वापिस आ गयी और अपीलांट से कहा कि आराजी शामलाती खाते मे है, 1/3 हिस्से मे प्रेमबाई पत्नि भंवरलाल है इसलिए हम अतिक्रमण नहीं हटायेगे। रेस्पो० बीरबल ने जो अतिक्रमण कर रखा है वह खसरा नंबर 249 रकबा 0.12 हेक्टेयर वाके ग्राम पटपडा पर है। उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने मे सह–खातेदार प्रेमबाई को कोई आपत्ति नही है और यह बात मौके पर भी प्रेमबाई ने तहसीलदार साहब मॉगरोल को बतादी थी लेकिन इसके बावजूद भी अ[illegible] मॉगरोल व रेस्पो० के मध्य एक दुरभि संधि को दर्शाता है। अपीलान्ट का मन समझाने के [illegible]ार मण्डल तिसाया ने जो पालना रिपोर्ट दिनांक 10/06/2025 को बनाई है [illegible]न्दू से फीता चलाकर खसरा नंबर की सीमाओ का निर्धारण कर[illegible] की सहाय[illegible] ग्रामवासियान एवं प्रार्थी अप्रार्थी के समक्ष अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रकबा 4.38 हेक्टेयर दर्ज हो रहे है। दर्ज खसरा नंबरान मे से खसरा नंबर 249

हटवाने की कार्यवाही की गई। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सिर्फ यह लिखा गया है कि अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गई लेकिन मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, आज भी कच्ची टापरी बनी हुई है रेती व ईटो का ढेर लगा हुआ है। मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने जेसीबी मशीन को चलाया भी नही और रिपोर्ट 10/06/2025 तैयार कर दी गई। जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर बलपूर्वक करवा लिए गए। पहले अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था क्योकि अतिक्रमण नहीं हटाया था फिर भी जैल भेजने की धमकी देकर हस्ताक्षर करवा लिए गए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावें कि खसरा नवर 249 रकबा 0. 12 हैक्टेयर ग्राम पटपडा तह ० मॉगरोल पर से रेस्पो० का अवैद्य अतिक्रमण हटवाया जाकर संपूर्ण अवैद्य कब्जे की आराजी गवाहान के समक्ष अपीलांट को संभलायी जावे और इस आशय की पालना रिपोर्ट इस सम्माननीय न्यायालय मे पेश करवायी जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी आरटीए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर रेस्पो. को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा अपीलांट को संभलाये जाने का आदेश दिनांक 10.12.2024 को पारित किया गया परंतु उक्त आदेश की पालना में अपीलांट को कब्जा नहीं संभलाया गया तथा कब्जा संभलाने के नाम पर खाना पूर्ति की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के खाते की अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रदान करें।

हमने निर्णय दिनांक 10.12.2024 की पालना में अपीलांट को कब्जा संभलाने बाबत रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल से तलब की। तहसीलदार मांगरोल के पत्र दिनांक 24.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि "आदेश दिनांक 10.12.2024 की पालना में राजस्व टीम द्वारा दिनांक 10.08.2025 को अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर प्रार्थी अमृतलाल को कब्जा संभलाया गया।"

प्राप्त रिपोर्ट को भी अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट द्वारा मिथ्या बताये जाने पर हमने लोक अदालत की भावना से पेरोकार सरकार के माध्यम से संबंधित भू अभि. निरी., पटवारी हल्का एवं अभिभाषक अपीलांट के माध्यम से अपीलांट को तलब किया। संबंधित भू अभि. निरी., पटवारी हल्का एवं अपीलांट स्वंय उपस्थित हुये। संबंधित भू अभि. निरी. एवं पटवारी हल्का ने अपीलांट को कब्जा संभलाते वक्त की गई कार्यवाही के फोटोग्राफ पेरोकार सरकार के माध्यम से पत्रावली में पेश किये।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल द्वारा तलब की गई रिपोर्ट दिनांक 24.12.2025 एवं संबंधित भू अभि. निरी. एवं पटवारी हल्का द्वारा कब्जा संभलाते वक्त लिये गये फोटोग्राफ्स के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2024 को पारित आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर अपीलांट को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा संभला दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:25 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 4.38 हेक्टेयर दर्ज हो रहे है। दर्ज खसरा नंबरान मे से खसरा नंबर 249